

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-22/08/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत जमुई, भागलपुर एवं बांका वन प्रमंडलों में जिला एवं प्रखंड स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रम हेतु कुल ₹47.27 लाख (सैतालिस लाख सताईस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत जमुई, भागलपुर एवं बांका वन प्रमंडलों में जिला एवं प्रखंड स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रम हेतु कुल ₹47.27 लाख (सैतालिस लाख सताईस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-557 दिनांक-19.06.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन, जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उपशीर्ष-0111 जल-जीवन-हरियाली, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011010111 के विषय शीर्ष-0111.02.01- मजदूरी तथा 0111.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, भागलपुर एवं बांका होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

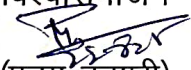
6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

9. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
10. इस राशि की निकारी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. योजना का निरीक्षण/पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
12. योजना क्रियान्वयन से संबंधित रंगीन फोटोग्राफ तथा वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन वन प्रमंडल कार्यालय में संधारित किया जायेगा। क्रियान्वित योजना का रंगीन फोटोग्राफ तथा वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) कार्यालय तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना प्रदर्शित किया जायेगा।
14. संचिका संख्या-213/2025 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-14.08.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-21.08.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
15. योजनाओं की समेकित संचिका संख्या-147/2025 के पृष्ठ-48/टि० पर दिनांक-21.08.2025 को अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति एवं संचिका संख्या-213/2025 के पृष्ठ-07/टि० पर दिनांक-22.08.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-213/2025 4621/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-22/08/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त संचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-213/2025 4621/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-22/08/2025

प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

Bhagalpur Circle, Bhagalpur
Abstract of Estimate of Organizing Van Mahotsav (Fy 2025-26)

Sl. No.	Division	District	Van Mahotsav Level	Number of Van Mahotsav	Unit Rate (Rs.)	Estimated Amount (Rs.)
1	Jamui	Jamui	Organizing Van Mahotsav at Ditriect level for 500 participants	1	770891	770891
			Organizing Van Mahotsav at Block level for 100 participants (Sikandra, Jhajha, Chakai & Gidhaur)	4	94178	376713
			Sub Total			1147604
		Sheikhpura	Organizing Van Mahotsav at Dirict level for 500 participants	1	770891	770891
Organizing Van Mahotsav at Block level for 100 participants (Ariari Block)	1		94178	94178		
			Sub Total			865069
Sum of Jamui Division						2012673
3	Banka	Banka	Organizing Van Mahotsav at Ditriect level for 500 participants	1	770891	770891
			Organizing Van Mahotsav at Block level for 100 participants (Belhar, Katoriya & Bounsi)	3	94178	282535
		Sum of Banka Division				
4	Bhagalpur	Bhagalpur	Organizing Van Mahotsav at Commissioner level for 600 participants	1	795891	795891
			Organizing Van Mahotsav at Block level for 20 participants Per Block	5	173075	865375
Sum of Bhagalpur Division						1661266
Sum of Circle						4727365

श्रीनील मुखर्जी
भारत सरकार
भारतपुर

Conservator of Forests
Bhagalpur Circle, Bhagalpur